तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 01/2020 जूठा वगै. बनाम बगदाराम वगै	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 18.08.2022

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत
2. विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से श्री जोगराज पोटलिया उप.।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 19.11.2018 को अपीलांट अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण श्रीमान न्यायालय में पैरवी हेतु हाजिर नहीं हो सके तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा अपीलांटगण को पेशी तारीख पर उपस्थित होने की सूचना नहीं दी गई। प्रत्येक मामले को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा प्रतयेक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। उक्त प्रकरण पिछली पेशी पर ही हाजा न्यायायल द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा जिसका न्यायहित में सुना जाना अति आवश्यक है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा बावजूद सूचना न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांटगण येन केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया। अपीलांट की गलती पर नरमी नहीं बरती जाकर आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना–पत्र का निरतारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिमांक 18.08.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा सिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर